उसमें पांच मिनट और हैं। दस मिनट में बोलने वाले समाप्त कर सकते हैं।...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब यह तो सहयोग पर है।...(व्यवधान)

श्री जलालुदीन अंसारी: इतना जल्दी-जल्दी में इस महत्वपूर्ण बिल को पास करना....(व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह: हम तो चर्चा की बात कर रहे हैं रेप्लायी अगली बार हो सकता है।....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अभी तो बराबर नाम आते रहे हैं....(व्यवधान) मैं समझता हूं कि भावना यही है कि इस महत्वपूर्ण विषय को अगले हफ्ते के लिए रखिए ताकि विस्तृत चर्चा हो सके। सेक्रेटरी जनरल।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

Re. Constitution of Joint Committee on Offices of Profit

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"That a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on Offices of Profit be constituted consisting of fifteen members, ten from this House and five from the Rajya Sabha, who shall be elected from amongst the members of each House in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote:

That the functions of the Joint Committee shall be—

(i) to examine the composition and character of all existing "committees" [other than those examined by the Joint Committee to which the Parliament (Prevention of Disqualification) Bill, 1957 was referred] and all "committees" that may hereafter be constituted, membership of which may disqualify a person for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament under article 102 of the Constitution;

(ii) to recommend in relation to the "committees" examined by it what offices should disqualify and what offices should not disqualify;

(iii) to scrutinise from time to time the Schedule to the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, and to recommend any amendments in the said Schedule, whether by way of addition, ommission or otherwise;

That the Joint Committee shall, from time to time, report to both Houses of Parliament in respect of all or any of the aforesaid matters;

That the members of the Joint Committee shall hold office for the duration of the present Lok Sabha;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committee, the quorum shall be one-third of the total number of memebrs of the Committee;

That in other respects, the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

That this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the said Joint Committee and to communicate to this House the names of the members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee."

2. I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha so appointed, may be communicated to this House."

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब चूंकि आप की अनुमति है कि हाउस का समय सवा 5 बजे तक बढ़ा दीजिए, मैं स्पेशल मैंशंस ले रहा हूं। श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर—अनुपस्थित । श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल। आप संक्षिप्त में बोल दीजिए।

SPECIAL MENTIONS

Reported shifting of Lions of Gir Forests (Gujarat) to Madhya Pradesh.

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल (गुजरात)-

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि गुजरात के साथ घोर अन्याय हो रहा है। गुजरात के वन को नष्ट करने के षडयंत्र की मुझे बू आ रही है। मुझे प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुजरात जिन बातों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उन में गीर फारेस्ट के शेर भी हैं। विश्व में इस तरह के शेर कहीं भी नहीं हैं, लेकिन अब गुजरात के वन को खत्म करने के लिए यह षडयंत्र चल रहा है। गुजरात के गीर में से कुछ शेर अब हटाकर मध्यप्रदेश की विजयपुर तहसील के अंतर्गत कुना पालपुर अभ्यारण्य में बसाने की योजना बनी है। इस योजना को सफल करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 65 करोड़ रुपए की सहायता भी मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाली है और यही नहीं अभ्यारण्य में शेर देखने के लिए, टूरिज्म विकसित करने की योजना बनी है।

महोदय, अगर यह बात सही है तो गुजरात की अस्मिता पर एक गहरा आघात होगा। गीर के शेर गुजरात में सुख-चैन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विश्व के पर्यटक यहां आकर और शेर देखकर आनंद एवं उत्तेजना का अनुभव करते हैं। पिछले साल हुई शेर की गणना के अनुसार शेर की संख्या में संतोषजनक वृद्धि बतायी गयी है। ऐसी स्थिति में क्या यह उचित होगा कि गुजरात से उस के इस अनमोल धन को छीन लिया जाए। अगर हम पर्यटन व्यवसाय को और अधिक विकसित करना चाहते हैं तो 65 करोड़ रुपए की यह रकम मध्यप्रदेश को देने के बजाय गुजरात के वर्तमान गीर फारेस्ट को दी जानी चाहिए।

मेरा आप के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गुजरात के शेर को कहीं और ले जाने के प्रस्ताव को तुरंत रोक दिया जाए। महोदय, आप जानते हैं कि गुजरात में पूज्य बापू का साबरमती आश्रम है। यह आश्रम विश्व विख्यात है जहां विश्व की कई विभूतियां यह आश्रम देखने आती हैं। तो क्या हम पर्यटन विकास के नाम पर इस आश्रम से पूज्य बापू जी के चर्खे को वहां से हटाकर किसी अन्य प्रदेश में रखने का दुःसाहस करेंगे? महोदय, ऐसा कोई भी कृत्य गुजरात की जनता का अपमान होगा। मेरा कहना है कि एक भी शेर को वहां से हटाने के किसी भी प्रस्ताव को रोक दिया जाए और इस विषय में क्या हो रहा है, इस से देश की जनता और सदन को अवगत कराया जाए खासकर गुजरात की प्रजा को अवगत कराया जाय। मैं आशा करती हूं कि प्रधान मंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लेंगे और गुजरात की अस्मिता को नष्ट नहीं होने देंगे। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI) : The Minister of Environment and Forests is present here. Mr. Minister, will you like to respond?

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: महोदय, योजना बन चुकी है और 65 करोड़ रुपए देने का प्रावधान भी रखा गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अभी उन के पास जानकारी नहीं है।

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: मध्य प्रदेश में ले जाने के लिए प्रावधान किया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि इस विषय में क्या हो रहा है?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अभी शायद पूरी जानकारी उन के पास नहीं है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): जानकारी लेने के बाद रिएक्ट कर सकता हूं।

Dilapidated Condition of a Bridge connecting Saurashtra and Kutch Districts

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर खींचना चाहता हूं। वैसे तो कभी कभी जब कोई आम आदमी का सवाल यहां उठता था तो हमारे कई मित्र भी उसमें हमारे साथ होते थे, लेकिन अब वह सब वहां चले गए हैं और अब उन लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि गुजरात में सौराष्ट्र की ओर जाने के लिए, पश्चिमी किनारे पर जो बोर्डर डिस्ट्रिक्ट कच्छ है, वहां से सौराष्ट्र में जाने के लिए और गुजरात के अन्य भाग में जाने के लिए एक बड़ा पुल, शायद आधा किलोमीटर का बना हुआ है। इस पुल को बने हुए करीब 25 साल हो गए हैं। आज उस पुल की स्थिति ऐसी है कि वहां पर जो यातायात चल रहा है इसी एक पुल से क्योंकि बोर्डर डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए गुजरात से कोई रास्ता अन्य नहीं है, कोई रास्ता नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 25 साल पहले यह पुल बना है और आज उस पुल की हालत बिल्कुल गंभीर, खराब हो गई है। कब यह पुल टूट जाएगा, कहा नहीं जा सकता। मैंने कई बार चिट्ठी भी लिखी है, सरकार का ध्यान भी खींचा है कि इस बारे में कुछ सोचो, कुछ करो, यह नेशनल हाइवे का पुल है और जो एक बार पुल टूट गया तो गुजरात के इस बोर्डर डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए ढाई सौ, तीन सौ किलोमीटर लंबा रास्ता काटना होगा। यह पुल स्ट्रेटजी के